राजस्थान सरकार
राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन, राजस्थान
चिकित्सा, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग, स्वास्थ्य भवन, तिलक मार्ग, राजस्थान, जयपुर।
फोन नं0 0141–2221812,
ई–मेल :– pcpndt-rj@nic.in

क्रमांक : रा0पी0प्र0 / स्वा0 प्रबं0 / SSB Meeting / 2018 / 828 दिनांक : 18/10/2018

बैठक कार्यवाही विवरण

दिनांक 27.09.2018 को प्रातः 11.00 बजे राज्य पर्यवेक्षण बोर्ड पीसीपीएनडीटी की बैठक पदेन अध्यक्ष राज्य पर्यवेक्षण बोर्ड एवं माननीय चिकित्सा, स्वास्थ्य एवं प0क0 मंत्री श्री कालीचरण सर्राफ महो0 की अध्यक्षता में निर्देशानुसार, राज्य स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण संस्थान, झालाना डूंगरी, जयपुर में आयोजित की गयी। बैठक में संलग्न सूची परिशिष्ठ 'अ' के अनुसार माननीय सदस्य राज्य पर्यवेक्षण बोर्ड व अन्य आमंत्रित सदस्यों ने भाग लिया।

अध्यक्ष राज्य समुचित प्राधिकारी पीसीपीएनडीटी एवं शासन सचिव (प0क0) महोदय द्वारा बैठक में उपस्थित सभी माननीय सदस्यों का स्वागत किया तथा बैठक के एजेण्डा आइटम का संक्षिप्त ब्योरा प्रस्तुत किया। तत्पश्चात राज्य पर्यवेक्षण बोर्ड के माननीय सदस्यों द्वारा प्रत्येक एजेण्डा आईटम पर चर्चा कर सर्वसम्मति से निम्नानुसार निर्णय लिये गये।

1. राज्य पर्यवेक्षण बोर्ड की बैठक दिनांक 23.05.2018 में लिये गये निर्णयों का अनुमोदन किया गया।
2. अध्यक्ष राज्य समुचित प्राधिकारी महोदय द्वारा उपस्थित माननीय सदस्यों को राज्य पीसीपीएनडीटी प्रकोष्ठ द्वारा अधिनियम की पालना एवं प्रभावी क्रियान्विती के लिये किये जा रहे कार्यों कि जानकारी देते हुए बताया की राज्य में अधिनियमानुसार राज्य पर्यवेक्षण बोर्ड एवं राज्य सलाहकार समिति की बैठक नियमित अन्तराल पर आयोजित की जा रही है।
3. अध्यक्ष राज्य समुचित प्राधिकारी महोदय ने पीसीपीएनडीटी अधिनियमानुसार राज्य में किये जा रहे पंजीकृत केन्द्रों के निरीक्षणों की जानकारी से बोर्ड को अवगत कराते हुए निरीक्षणों में जनवरी से सितम्बर, 2017 के मुकाबले जनवरी से सितम्बर, 2018 में कुल 256 निरीक्षण ज्यादा किया जाना बताया जिसकी बोर्ड द्वारा सराहाना करते हुए भविष्य में भी समुचित प्राधिकारीगण द्वारा सोनोग्राफी केन्द्रों का समय पर निरीक्षण किये जाने के निर्देश प्रदान किये।
4. अध्यक्ष राज्य समुचित प्राधिकारी महोदय ने राज्य पर्यवेक्षण बोर्ड को राज्य पीसीपीएनडीटी प्रकोष्ठ द्वारा किये जा रहे डिकॉय ऑपरेशन की जानकारी देते हुए बताया की राज्य में अब तक कुल 131 डिकॉय ऑपरेशन किये जा चुके हैं वर्ष 2018 में बैठक दिनांक तक कुल 35 सफल डिकॉय ऑपरेशन एवं पिछली बैठक से अब तक कुल 16 सफल डिकॉय ऑपरेशन किये जा चुके हैं जिसमें से 5 अन्तर्राज्यीय डिकॉय ऑपरेशन गुजरात, उत्तरप्रदेश एवं मध्यप्रदेश में किये गये है जिसकी बोर्ड द्वारा किये जा रहे डिकॉय कार्यवाहियों की सराहाना की गयी।।
5. अध्यक्ष राज्य समुचित प्राधिकारी महोदय ने राज्य पर्यवेक्षण बोर्ड को पीसीपीएनडीटी अधिनियम की भावना के तहत राज्य में भ्रूण लिंग परीक्षण एवं कन्या भ्रूण हत्या की रोकथाम के लिएं चलाये जा रहे जागरूकता कार्यक्रम की जानकारी देते हुए माननीय बोर्ड को अवगत कराया की राज्य की सभी ग्राम पंचायतों पर "बेटी पंचायत" जागरूगता कार्यक्रम आयोजित करने का लक्ष्य तय किया गया है जिसके तहत सितम्बर माह में दिनांक 07, 14 एवं 25 को राज्य की

कुल 7125 ग्राम पंचायतों पर बेटी पंचायत जागरूगता कार्यक्रम महिला एवं बाल विकास विभाग तथा पंचायती राज विभाग के सहयोग से आयोजित किया गया है। इन कार्यक्रमों से कुल 640185 लोगों को जागरूक किया गया साथ ही जानकारी दी की कल दिनांक 28.09.2018 में भी इस कार्यक्रम का आयोजन राज्य की शेष पंचायतों में किया जाकर जनमानस को जागरूक किया जायेगा। जिसकी भी बोर्ड द्वारा सराहाना की गयी।

6. अध्यक्ष राज्य समुचित प्राधिकारी (पीसीपीएनडीटी) महो0 द्वारा राज्य में पीसीपीएनडीटी अधिनियम की क्रियान्विती हेतु भ्रूण लिंग परीक्षण में लिप्त व्यक्तियों को पकडने हेतु किये जा रहे डिकॉय ऑपरेशनों की भांति ही पीसीपीएनडीटी ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन (पीबीआई थाना) को एमटीपी अधिनियम से संबंधित मामलों में भी कार्यवाही का क्षेत्राधिकार है एवं इसी के तहत राज्य में अब तक अवैध रूप से गर्भपात में लिप्त व्यक्तियों को पकडने हेतु कुल 9 सफल कार्यवाही कि जा चुकी है। किन्तु पीसीपीएनडीटी डिकॉय ऑपरेशनों की भांति एमटीपी अधिनियम में कि जाने वाली कार्यवाही हेतु किसी प्रकार की प्रोत्साहन राशि एवं कार्यवाही में होने वाले खर्चों हेतु कोई प्रावधान नहीं होना बताते हुए बोर्ड के समक्ष प्रस्ताव रखा की यदि एमटीपी कार्यवाही में प्रोत्साहन राशि एव खर्चो हेतु राशि राज्य में पीसीपीएनडीटी अधिनियम के तहत केन्द्रों के पंजीकरण/नवीनीकरण से प्राप्त वाली राशि में से उपयोग किये जाने पर एमटीपी कार्यवाही में भी वृद्धि होकर अवैध रूप से हो रहे गर्भपात पर रोक लगाई जा सकती है। प्रस्ताव पर माननीय मंत्री महो0 एवं सम्मानित बोर्ड सदस्यों द्वारा सहमति प्रदान की गई।

7. अध्यक्ष राज्य समुचित प्राधिकारी (पीसीपीएनडीटी) महो0 द्वारा बोर्ड के सदस्यों को अवगत कराया कि सोनोग्राफी मशीन एवं भ्रूण लिंग परीक्षण में सक्षम उपकरणों की निर्माता कम्पनी, आयातकर्ता, डीलर, डिस्ट्रीब्यूटर इत्यादि का पंजीकरण अधिनियम के तहत किये जाने के बोर्ड के अनुमोदन पश्चात राज्य में अब तक कुल 31 विक्रेताओं का पंजीकरण राज्य स्तर से किया जाकर कुल 22 लाख रूपये पंजीकरण राशि के रूप में राजकोष में जमा कराये जा चुके है। साथ ही अध्यक्ष राज्य समुचित प्राधिकारी महो0 द्वारा सोनोग्राफी मशीन एवं भ्रूण लिंग परीक्षण में सक्षम उपकरणों के रिफर्बीशमेन्ट (Refurbishment), रिपेयर (Repair) का स्वतन्त्र रूप से कार्य करने वाली फर्म, एन्टरप्राईजेज (Enterprises) का पंजीकरण भी राज्य स्तर से अधिनियम के तहत किये जाने हेतु पूर्व में अनुमोदित दिशा निर्देशों (Guideline) में संशोधन किये जाने की आवश्कता बतायी जिस पर सर्वसम्मति से बोर्ड द्वारा आवश्यकता अनुसार अनुमोदित दिशा निर्देशों (Guideline) में संशोधन किये जाने की अनुमति प्रदान कि गयी।

8. अध्यक्ष, राज्य समुचित प्राधिकारी (पीसीपीएनडीटी) महो0 द्वारा माननीय बोर्ड को अवगत कराया की पीसीपीएनडीटी अधिनियम के तहत आरोपी चिकित्सों के विरूद्ध परिवादों में माननीय न्यायालय द्वारा आरोप विरचित किये जाने एवं दोषसिद्ध किये जाने पर समुचित प्राधिकारीगण द्वारा राज्य चिकित्सक परिषद (आरएमसी) को चिकित्सकों के पंजीकरण निलम्बन हेतु भेजी जाने वाली सूचना पर राज्य चिकित्सा परिषद द्वारा त्वरित कार्यवाही होनी चाहिये जो वर्तमान में नहीं हो रही है। साथ ही इन चिकित्सकों के विरूद्ध राज्य चिकित्सा परिषद द्वारा पूर्व में की गई निलम्बन कार्यवाही पर भी चिकित्सकों द्वारा माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय से स्थगन आदेश (Stay) कराया गया है। जिनमें भी चिकित्सा परिषद द्वारा प्रभावी पैरवी अपेक्षित है। इस पर माननीय मंत्री महो0 ने श्री वी0के0 माथुर, निदेशक, जन स्वास्थ्य को त्वरित कार्यवाही एवं न्यायालय में राज्य चिकित्सा परिषद की ओर से प्रभावी पैरवी कराये जाने हेतु निर्देश प्रदान किये।

4

9. अध्यक्ष, राज्य समुचित प्राधिकारी (पीसीपीएनडीटी) महो0 द्वारा माननीय बोर्ड को अवगत कराया की विभाग के राजकीय चिकित्सकों, पैरामेडिकल स्टाफ, नर्सिंग स्टाफ इत्यादि के भ्रूण लिंग परीक्षण में लिप्त पाये जाने पर इनके विरूद्ध डिकॉय कार्यवाही के पश्चात विभाग द्वारा इन अधिकारी/कर्मचारी के विरूद्ध त्वरित अनुशासनात्मक कार्यवाही किया जाना निदेशक, जन स्वास्थ्य के स्तर से अपेक्षित है। इस पर माननीय मंत्री महो0 द्वारा श्री वी0के0 माथुर, निदेशक, जन स्वास्थ्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग को आरोपित अधिकारी/कर्मचारीगण के विरूद्ध उक्त प्रकार त्वरित कार्यवाही किये जाने के निर्देश देते हुऐ पीसीपीएनडीटी सैल को भी निर्देश दिये की पीसीपीएनडीटी सैल तुरन्त अतिरिक्त निदेशक (अराजपत्रित) से सम्पर्क कर ऐसे कर्मिकों के विरूद्ध 16 सीसीए में आरोप पत्र तैयार कर तामील करायें।

- बैठक लगभग दो घण्टे तक चली।
- आगामी बैठक नियमित अवधि चार माह के अन्तराल पर आयोजित करने का निर्णय लिया गया।
- बैठक का समापन अध्यक्ष महोदय व सभी प्रतिभागी सदस्यों को धन्यवाद के साथ किया गया।

(नवीन जैन)
अध्यक्ष राज्य समुचित प्राधिकारी एवं
शासन सचिव (प0क0),
चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग,
राजस्थान जयपुर।

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ पालनार्थ प्रेषित है :–

A

1. विशिष्ठ सहायक, माननीय चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री महोदय, राजस्थान सरकार। **(Email :- sahealthminister@gmail.com)**
2. निजी सचिव, अति0 मुख्य सचिव, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग, राजस्थान, जयपुर।
3. श्रीमति चन्द्रकान्ता मेघवाल (माननीय विधायक, रामगंजमण्डी, कोटा), बी–13, एम.एल.ए. क्वार्टर, जयपुर, मोबाईल नं. 9413350111, 9414286045
4. श्रीमति संजना आगरी,(माननीय विधायक, सोजत, पाली), 2/4 विधायक नगर (पश्चिम) जयपुर मोबाइल नं0 9928371601, 9829088165।
5. श्रीमती अल्का सिंह गुर्जर, माननीय विधायक बांदीकुई, दौसा, मोबाईल नं. 9414077990
6. निजी सचिव, अतिरिक्त मुख्य सचिव, महिला एवं बाल विकास विभाग, जयपुर।
7. निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव, सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग, जयपुर। **(Email :- ph-sje@rajasthan.gov.in)**
8. निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव, विधि विभाग, राजस्थान, जयपुर। **(Email :- secretarylaw.rajasthan@rediffmail.com)**
9. निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव, आयुर्वेद एवं भारतीय चिकित्सा विभाग, राजस्थान, जयपुर।
10. निजी सहायक, निदेशक, परिवार कल्याण, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाऐं, राजस्थान, जयपुर।
11. अतिरिक्त निदेशक, परिवार कल्याण चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाऐं, राजस्थान, जयपुर।
12. डॉ0 नीता पाटनी, सामाजिक विज्ञानी, डी–8, गणेश मार्ग, बापू नगर, जयपुर मोबाइल नं0 9414238226 **(E-mail:-neetapatni@gmail.com)**

13. श्री कानसिंह राठौड, विधि विशेषज्ञ, बी–140, आचार्य विनोबा भावे नगर, वैशाली नगर, जयपुर मोबाइल न0 9414123444
14. श्रीमती सीमा दया, महिला कार्यकर्ता, 3–जनाना अस्पताल परिसर, जयपुर मोबाइल न0 9829363672 (**Email :- seemadaya3@gmail.com**)
15. श्रीमती मंजू शर्मा, महिला कार्यकर्ता, 107–यूनिक सांधी अपार्टमेंट, महावीर नगर, टोंक रोड, जयपुर मोबाइल न0 9829394789 (**E-mail:- manjusharmabjp@gmail.com**)
16. डॉ0 सुमन मेहंदी रत्ता, महिला रोग विशेषज्ञ, 4–YA-20, जवाहर नगर, जयपुर मोबाइल न0 9829057336 (**E-mail:- drsumanmittal@gmail.com**)
17. डॉ0 मृदुल गहलोत, महिला रोग विशेषज्ञ, 2 आकांक्षा गहलोत बंगला, अजमेर रोड, जयपुर मोबाइल न0 9414044445 (**Email :- drmridulgehlot@yahoo.com**)
18. डॉ0 तरूण पाटनी, अनुवांशिकी विज्ञानी, 119–केशव विहार, गोपालपुरा बाईपास, जयपुर मोबाइल न0 9829216070 (**Email :- drtarunpatni@hotmail.com**)
19. डॉ0 सुषमा शर्मा, आनुवांशिकी विज्ञानी, पी–60, राज आंगन एनआरआई कॉलोनी, प्रतापनगर, जयपुर मोबाइल न0 9571106777
20. डॉ0 सतीश जैन, रेडियोलॉजिस्ट, 28–95, भार्गव पथ, मानसरोवर, जयपुर मोबाइल न0 9314285434 (**Email :- drskjain007@gmail.com**)
21. डॉ0 भोपाल सिंह भाटी, सोनोलॉजिस्ट, चम्बल रेजिडेंसी सिविल लाइन्स, सीएमएचओ कार्यालय के सामने, नयापुरा, कोटा मोबाइल न0 9461515147 (**E-mail:-gopal.bhati.gb@gmail.com**)
22. डॉ0 अनिता गोयल, स्त्री रोग विशेषज्ञ, सी–201 उन्नति रेजिडेन्सी सेक्टर–1 विद्याधर नगर जयपुर।
23. डॉ0 रिमी शेखावत, सामाजिक कार्यकर्ता, मरूधर हॉस्पिटल खातीपुरा, जयपुर।
24. श्री राकेश वर्मा, मीडिया सदस्य, 27 बरकत नगर टोंक फाटक, जयपुर।

B

1. निजी सचिव, अध्यक्ष राज्य समुचित प्राधिकारी पीसीपीएनडीटी एवं शासन सचिव (प0क0) चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग, राजस्थान, जयपुर।

C

1. निजी सहायक, अतिरिक्त मिशन निदेशक (एनएचएम) एवं निदेशक (आईईसी), चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाऐं, राजस्थान, जयपुर।
2. निजी सहायक, शासन सचिव, चिकित्सा शिक्षा विभाग, राजस्थान जयपुर।
3. सचिव, राजस्थान मेडिकल कॉन्सिल, बाईस गोदाम, जयपुर।
4. निदेशक (**SIHFW**), राज्य स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण संस्थान, राजस्थान जयपुर।

D

1. परियोजना निदेशक (पीसीपीएनडीटी) एवं अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक (पीबीआई), चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाऐं, राजस्थान, जयपुर।
2. सहायक निदेशक अभियोजन (पीसीपीएनडीटी), चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाएं, राजस्थान जयपुर।
3. प्रभारी पीबीआई / प्रभारी अपराध शाखा / विधि विशेषज्ञ राज्य पीसीपीएनडीटी प्रकोष्ठ / सलाहकार विधि (एनएचएम), मुख्यालय जयपुर।
4. समस्त जिला पीसीपीएनडीटी समन्वयक, राजस्थान को पालनार्थ।
5. सेन्ट्रल सर्वर रूम, मुख्यालय।
6. रक्षित पत्रावली।

परियोजना निदेशक (पीसीपीएनडीटी), एवं
अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक (पीबीआई),
चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग,
राजस्थान, जयपुर।

परिशिष्ठ 'अ'

1. श्री काली चरण सर्राफ, माननीय चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री एवं अध्यक्ष राज्य पर्यवेक्षण बोर्ड राजस्थान, जयपुर।
2. श्री नवीन जैन, अध्यक्ष, राज्य समुचित प्राधिकारी एवं शासन सचिव (प0क0), चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग, राजस्थान, जयपुर।
3. डॉ0 जगदीश प्रसाद, (प्रतिनिधी) अतिरिक्त मुख्य सचिव, महिला एवं बाल विकास विभाग, राजस्थान, जयपुर।
4. जगमोहन शर्मा, (प्रतिनिधी) प्रमुख शासन सचिव, विधि विभाग, राजस्थान, जयपुर।
5. डॉ0 श्रीराम तिवाडी, प्रमुख शासन सचिव, आयुर्वेद एवं भारतीय चिकित्सा विभाग, राजस्थान जयपुर।
6. डॉ0 वी0के0 माथुर, निदेशक, परिवार कल्याण चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवायें, राजस्थान, जयपुर।
7. डॉ0 ओ0पी0 थाकन, अतिरिक्त निदेशक, परिवार कल्याण चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवायें, राजस्थान, जयपुर।
8. श्रीमती कविता मलिक, सदस्य राज्य समुचित प्राधिकारी (पीसीपएनडीटी), जयपुर।
9. डॉ0 नीता पाटनी, सामाजिक विज्ञानी, जयपुर।
10. श्रीमती सीमा दया, महिला कार्यकर्ता, जयपुर।
11. डॉ0 सुमन मेंहदीरत्ता, महिला रोग विशेषज्ञ, जयपुर।
12. डॉ0 विशाल सिह, (प्रतिनिधी) निदेशक राज्य स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण संस्थान, जयपुर।